न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44/2020 राजस्व अपील

1. हरिसिंह
2. ठण्डी

पुत्रान श्री गठूड़या जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली तहसील सिकराय उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नायब तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 14.03.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हरिसिंह वगै. मु. नं. 21/19 अ. धारा 91 राज. भू राज. अधिनियम

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कसाना अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः 26.08.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स के विरूद्व पटवारी हल्का मोहचिंगपुरा द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट्स ने ग्राम मोरोली की चरागाह भूमि आराजी खसरा नं. 612, 613 रकबा 0.65 है. पर सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट्स को बिना कोई सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 14.03.2019 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स को 90 दिवस के सिविल कारावास व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त आदेश दिनांक 14.03.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय जेर कानून नियम, उपनियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस की अपीलान्ट्स को व्यक्तिगत जानकारी नहीं हुई है, न ही नोटिस तामील हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट्स ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट्स ने कौनसी फसल काश्त की है। अपीलान्ट्स को पटवारी से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया है और ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट एक्जिबिट ही हुई है। अपीलान्ट्स द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 14.03.2019 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत 2075 में ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित गै. मु. नदी की भूमि खसरा नम्बर 612 रकबा 0.25 है. पर गेहूं की फसल काश्त कर तथा खसरा नम्बर 613 रकबा 0.30 है. पर गेहूं की काश्त एवं 0.10 है. पर पडत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 14.03.2019 को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 14.03.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित गै. मु. नदी की भूमि खसरा नम्बर 612 रकबा 0.25 है. पर गेहूं की फसल काश्त कर तथा खसरा नम्बर 613 रकबा 0.30 है. पर गेहूं की काश्त एवं 0.10 है. पर पडत कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 14.03.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 21/2019 उनवानी सरकार बनाम हरिसिंह वगै. में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official